रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1979/ फाल्गुन 2, 1900
No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1979/PHALGUNA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

सं० 5/1/79-सी०एल०-5—किसी अन्य अधिनियम की तरह ही कम्पनी अधिनियम, 1956 भी केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी किए गए नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं और निर्देशों में निर्धारित माध्यम के द्वारा लागू किया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नियम, फार्मों के द्वारा ही कार्यरूप होते हैं, जो या तो अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रश्न का अनुमोदन करते हुए निर्णय के लिये उपयोगी सूचना का पता लगाने या अधिनियम द्वारा अनुपालन के उपभोग का अभिलेख को रखने उद्देश्य के लिए अपेक्षित है। ये नियम और फार्म अधिनियम के क्रियात्मक रूप से कार्य करने में गुणदोषज के रूप में महत्वपूर्ण है, जैसे कि कम्पनी के नाम परिवर्तन, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन, कम्पनी संविधाए, शेयरों का हस्तातरण, प्रभारियों का सृजन, श्रेणीगत बैठकें, उत्पीड़न और कुप्रबन्ध, कम्पनियों का निरीक्षण, कम्पनी का पुनर्निर्माण, कम्पनी का समापन, अभिलेखों को सुरक्षित रखना, विदेशी-कम्पनियों के अभिलेखों का अनुवाद, फीस की अदायगी आदि जैसे कम्पनी प्रशासन में अत्यावश्यक मामलों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र देने या कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फार्मों और विवरणियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को छोड़कर शेष पर प्रभावी होते हैं।

2. नियमों और फार्मों का पहला समूह अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और फार्म, 1956 द्वारा अधिसूचित किया गया था। इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित 67 दूसरे फार्मों से अलग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 30 अन्य नियमों के अन्तर्गत 40 अन्य फार्मों को लगभग निर्धारित किया गया है। कम्पनियों, विभिन्न व्यावसायों, वाणिज्य मंडलों और उद्योगों तथा अन्यों के द्वारा समय समय पर आलोचनाएं की गई है कि बहुत से फार्म है, जिनमें से बहुत से को आसानी से मुक्त किया जा सकता है और यहां तक कि जो अनिवार्य है, वे अपनी रूप-रेखा, शैली तथा आकार में काफी जटिल है और यहां तक ये अपने में स्पष्टतया युक्तिसंगत नहीं है या सूचना मांगने के लिये विरल नहीं है तथा अधिनियम के उद्देश्यों के लिये प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है। इन सभी के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनको अपने उपक्रमों और लागू करने में इनको काफी कठिनाइयां हुई हैं। विभिन्न नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फार्मों की समीक्षा करने का मामला बहुत पहले से ही चल रहा है तथा अभी तक इस पर विचार किया गया होता, किन्तु यह विधेयकों में मुख्य संशोधन के लिये जो फरवरी, 1975 से लागू हुए थे तथा उसके तुरन्त पश्चात् कम्पनी अधिनियम की समीक्षा करने के लिये उच्चाधिकार विशेष समिति की नियुक्ति के कारण नहीं हो सका। उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति जिसमें विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधित्व था, ने भी अनुभव किया कि इन फार्मों की काफी संख्याओं में कमी और उसमें उल्लिखित अनावश्यक ब्यौरों में से कुछ को निकालने की काफी गुंजाईश है तथा यह सुझाव दिया कि फार्मों के परिशोधन का मामला सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित

फार्मों में से कुछ में परिवर्तन भी किया जा सकता है अगर इस विशेषज्ञ समिति के सुझावों को अन्ततोगत्वा सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। तथापि, इस स्तर पर उस आकृति का पूर्वानुमान लगाना कठिन है जिसके अनुरूप सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें अन्तिम रूप में स्वीकार की जायेंगी तथा यह परिणामी परिवर्तनों को समिति की सिफारिशों से सम्बद्ध अनेक नियमों के अन्तर्गत प्रपत्रों का, अन्ततः समावेश होगा। उपरवर्णित कारणों से, इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित उप फार्मों, जिन के उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों के अनुसरण में परिवर्तित किए जाने की संभावना है, से भिन्न अन्य कार्यों का सर्वतोमुखी पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति का गठन करना, आवश्यक हो गया है।

3. तदनुसार, सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन सम्बन्धी अपेक्षाओं के उत्तरदायित्व के साथ साथ इसके प्रपत्रों को सरल तथा प्रभावी बनाने के लिये इसके तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों, के अन्तर्गत विहित विद्यमान प्रपत्रों में किए जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करने व अपनी रिपोर्ट देने के लिये एतद्द्वारा एक समिति नियुक्त करती है।

4. यह समिति निम्न प्रकार से गठित होगी :—

श्री के० के० रे, आई० ए० एस० (अवकाश प्राप्त)—अध्यक्ष

1. श्री ए० नीलकान्तन, संयुक्त सचिव (विधि) कम्पनी कार्य विभाग — सदस्य
2. श्री वी० राजारमन, शास प्राप्त लेखापाल, ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी — सदस्य
3. श्री पी० आर० मुखोपाध्याय, सचिव, इण्डियन इन्स्टीकेटर्स लिमिटेड — सदस्य
4. श्री ए० एम० चक्रवर्ती, संयुक्त निदेशक (विधि) कम्पनी कार्य विभाग . . . . सचिव

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, एवं इसकी बैठकें आवश्यकतानुसार सम्पन्न होंगी। समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, (कम्पनी कार्य विभाग) को 30 जून 1979 तक प्रस्तुत की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया कि इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

पी० कृष्णमूर्ति सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1979

No. 5/1/79-CL. V.—The Companies Act, 1956, like any other statute, is administered through a set of rules, orders, notifications and directions issued by the Government under powers conferred by the Act itself. The rules framed under the Act are accompanied by forms which are designed either to elicit information useful for deciding any question of approval under the Act or is required for the purpose of keeping a record of compliance enjoined by the statute. These rules and forms are of critical importance in the practical working of the Act, affecting, as it does, such vital matters in company administration as change of name of the company, conversion of a public limited company into a private limited company, company contracts, transfer of shares, creation of charges, class meetings, oppression and mismanagement, inspection of companies, reconstruction of a company, winding up of a company, preservation of records, foreign companies, translation of documents, payment of fees, etc., besides the procedure for making application to the Central Government and filing of forms and returns with the Registrar of Companies under various sections of the Act.

2. The first set of rules and forms was notified under the Act by the Companies (Central Government's General Rules and Forms, 1956. Apart from 67 separate forms prescribed under these rules, there are also about 40 other forms prescribed under 30 other rules framed under the Act. Criticisms have been voiced from time to time by companies, various professions, Chambers of Commerce and Industries and others that there are too many forms, a number of them could be easily dispensed with, even those which are essential are quite complex in their layout, style and design and are also quite often ambiguous, not self explanatory, or consistent, not infrequently calling for information, not directly relevant for the purposes of the Act. All these have led, it is said, to considerable difficulties in their understanding and compliance. A review of the forms prescribed under the various rules had already become long overdue and would have been undertaken but for the major amending legislations which came into force in February, 1975 and the appointment of the High Powered Expert Committee to review the Companies Act, soon thereafter. The High Powered Expert Committee which received representations from various Chambers of Commerce and professional bodies also felt that there was considerable scope for reducing the number of forms and eliminating some of the unnecessary details contained therein and had suggested that the matter of revision of forms should be taken up by the Government. Some of the forms prescribed under the Act may also undergo change eventually if the recommendations of this Expert Committee are accepted by the Government. It is however, difficult to anticipate, at this stage, the share in which the recommendations of the Committee would be finally accepted by the Government and the consequent change that the forms under various rules having a bearing on the Committee's recommendations would eventually entail. For the reasons stated above, it has become necessary to constitute a Committee to undertake a comprehensive review of the forms prescribed under the Act other than those which are likely to undergo change in terms of the recommendations of the High Powered Expert Committee.

3. Government, accordingly, hereby appoints a Committee to consider and report on the changes that should be made in the existing forms prescribed under the Companies Act, 1956 and rules framed thereunder in order to make the forms simpler and effective as well as answer to the requirements of administering the Act.

4. The Committee will be constituted as follows :—

Shri K .K .Ray	I.A.S. (Rtd.)	Chairman
1. Shri A. Neelakantan	Joint Secretary (Legal) Department of Company Affairs.	Member.
2. Shri V. Rajaraman,	Chartered Accountant, Thakur Vaidyanatha Iyer & Company.	Member

3. Shri P. R. Mukhopadhyaya,	Secretary, Indian Duplicators Limited.	Member
Shri A. M. Chakraborty	Joint Director (Legal) Department of Company Affairs.	Secretary

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi and it will meet as and when necessary. The report of the Committee shall be submitted to the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs), not later than 30th June, 1979.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories, Ministries and Departments of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Private and Military Secretaries to the President.

Ordered also that it be published in the Gazette of India Extraordinary.

P. KRISHNAMURTI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979